

राजभाषा कार्यान्वयन समिति
लेडी श्री राम कालेज फार वूमन, दिल्ली

फाइल संख्या : एलएसआरसी/एओ-पीआरओ/2023/326

तारीख : 14/08/2023

कार्यालय आदेश

भारत की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन एवं राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन प्रो. सुमन शर्मा, प्राचार्या, लेडी श्रीराम कालेज की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया गया है-

- | | |
|--|---------------|
| 1. डॉ. पंकजा घई, एसोसिएट प्रो. संस्कृत विभाग | - संयोजिका |
| 2. डॉ. सारिका कालरा, एसोसिएट प्रो. हिन्दी विभाग | - सह संयोजिका |
| 3. श्री शैलेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी | - सदस्य |
| 4. डॉ. प्रीति प्रजापति, एसोसिएट प्रो. हिन्दी विभाग | - सदस्य |
| 5. डॉ. कैलाश कुमार, एसोसिएट प्रो. सांख्यिकी विभाग | - सदस्य |


कार्यालयीय सहयोगी

श्रीमती संगीता सिंह, अनुभाग अधिकारी
श्री आनंद प्रकाश यादव पुस्तकालय अध्यक्ष
डॉ. मेघा ढिल्लन (एसोसिएट प्रो. मनोविज्ञान विभाग),
संयोजिका आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)

यह समिति महाविद्यालय के विभिन्न भागों में भारत की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) तथा राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) प्रदत्त प्रावधानों के यथोचित अनुपालन को सुनिश्चित करेगी तथा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों/ अनुभागों में दैनंदिन स्तर पर राजभाषा के आधिकारिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं व कार्यक्रम आदि आयोजित करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगी।

समिति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, हिन्दी अनुभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा हिन्दी अनुभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/ निर्देशों के अनुरूप समुचित कार्यवाही करेगी।

यह समिति साक्षात् प्राचार्या के संरक्षण एवं निर्देशन में कार्य करते हुए नियमित रूप से बैठक आयोजित करेगी तथा साक्षात् प्राचार्या को नियमित रूप से अवगत कराती रहेगी।


प्राचार्या

Principal —
Lady Shri Ram College for Women
University of Delhi
Lajpat Nagar, New Delhi-110024